UPAL010020102026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ़।

पीठासीन अधिकारी–(PANKAJ KUMAR AGRAWAL)(उच्चतर न्यायिक सेवा)

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–907 सन् 2026

इन्तयाज पुत्र हुकमदीन निवासी–गौमत थाना खैर, जनपद–अलीगढ़।

..... अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी/वादी

आदेश

जमानत प्रार्थना पत्र आदेशार्थ पेश हुआ। जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है।

2. प्रार्थना पत्र **प्रार्थी/अभियुक्त इन्तयाज पुत्र हुकमदीन द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 103/2026, धारा–191(2),191(3),109(1),110,131,61(2) भारतीय न्याय संहिता,थाना खैर,जिला** अलीगढ. में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक–13.02.2026 को यशाम चार बजे वादिनी गोलो का बेटा बबलू गांव से पशुओ का व्यापार कर वापस अपने घर आ रहा था तभी रास्ते में कलियस के खेत पर हथियारों से लैस चुन्ना व अनस ,कलुआ, शाहरूख,गुडडू, आशिक, अरमान, चांद जुनैद, फारूख, शकील, सौनू, छंगा उर्फ समीन, मोहसिन, नसीर,फुरकान, **इन्तयाज**, मुन्तयाज, जहीर, मुज्जमिल, रहीस, अल फेज, जहीर,फिरोज, रोशान मिले जिन्होने योजना अनुसार रूप से वादिनी के बेटे को जान से मारने के इरादे से गाली–गलौज करते हुए घेर लिया तथा घेर कर सभी ने एक राय होकर लाठी–डण्डा सरिया से जानलेवा हमला किया इतना ही नही कलुआ, सौनू, अरमान, फिरोज, शाहरूख, सकील ने वादिनी के बेटे को गिरा लिया गिराकर उपरोक्त ने गले पर लाठी रखकर जान से मारने के इरादे से बेहोश होने तक गले को दबाए रखा जब उपरोक्त को लगा कि वह मर चुका है, मरा समझकर दौड कर भाग निकले उनके भाग जाने पर पडौस से देख रहे सफीक वादिनी के बेटे के पास गया जब उसने वादिनी के बेटे को मरणासन्न स्थिति में देखा तब उसने सारी घटना के बारे में दौडकर वादिनी व उसके परिवार के लोगो को बताया जिसके बाद वादिनी उसे बेहोशी की हालत में थाने लेकर आयी।

4. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और देरी का कोई कारण स्पष्ट नही किया गया है। वादी के भाई की पत्नी ने उसी थाने पर आरोपी पति व उसके अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ क्रास अपराध संख्या–104/2026 पर मुकदमा दर्ज कराया जबकि पुलिस ने बिना कोई कारण बताये अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में अभियुक्त की कोई विशेष भूमिका नही बतायी गयी है। अभियुक्त के कब्जे से किसी भी तरह की कोई रिकवरी नही हुई है। अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नही किया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। अभियुक्त दिनांक–15.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुनाया गया तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त तहरीर में नामित अभियुक्त है। तहरीर के अनुसार दिनांक 13.02.2025 को समय करीब 04:00 बजे जब वादिनी का पुत्र बबलू घर वापस आ रहा था तभी रास्ते में अभियुक्त द्वारा 25 अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी के पुत्र को जान से मारने की नियत से गाली–गलौंच करते हुए घेर लिया और सभी ने एक राय होकर लाठी–डण्डा व सरिया से जानलेवा हमला किया। अन्य सह–अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के पुत्र को गिराकर वादिनी के पुत्र के गले पर लाठी रखकर जान से मारने के इरादे से बेहोश होने तक गले को दबाए रखा और मरा हुआ समझकर भाग जाने का कथन किया गया है। वादिनी मुकदमा द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तहरीर में उल्लिखित कथनों का समर्थन किया गया है। इसके अतिरिक्त चुटैल बबलू की आहत आख्या के अनुसार चुटैल को कुल सात चोटें आना दर्शित किया गया है–

i. Contusion 2x2cm on right side forehead just 2cm above from right eyebrow.
ii. Abrasion 1x1cm just on base of nose.
iii. Abrasion 0.5x0.5cm on mid of nose just 1cm below from mid of nose.
iv. Abrasion 5x1cm on left side neck just above midial end of left clavicle bone.
v. Abrasion 1x1cm on left knee joint just below from left patella bone.
vi. Abreded contusion 3x3cm on anterio-lateral surface of left leg just 10cm below from left knee joint.
vii. Abreded Contusion 5x5cm on right knee joint just on patella bone.

चुटैल को आयी उक्त चोटों में से चोट नम्बर (vii) के अतिरिक्त अन्य सभी चोटों को साधारण प्रकृति की होना तथा कठोर कुन्दालय से आना दर्शित किया गया है। चुटैल की चोट नम्बर (vii) को जेरे निगरानी रखा गया है परन्तु अभियोजन की ओर से कोई एक्स–रे रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत पुलिस आख्या में यह कथन किया गया है कि, *"प्रार्थी/अभियुक्त की भाभी द्वारा भी उक्त झगड़े के बाबत थाना खैर पर मु०अ०सं०-104/2026, धारा 191(2),191(3),115(2),131,333,74,76,109(1),351(3),61(2) बी०एन०एस० दिनांक 14.02.2026 को पंजीकृत कराया गया है। यह कथन सत्य है कि उक्त झगड़े में दोनों पक्षों की तरफ से एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराये गये हैं।"* अभियुक्त दिनांक 14.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आधार जमानत पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त **इन्तयाज** पुत्र हुकमद्दीन द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०-50,000/-रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक–05.03.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)
ID No.-UP-1897
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

टाइपकर्ता– संगम (आशुलिपिक)

Digitally signed by PANKAJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2026.03.05 17:20:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court